रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269778
CG-DL-E-02022026-269778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947
No. 450] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 479(अ).— केन्द्र सरकार, रेलव अधिनियम, 1989 (1989 का 24), जिसे रेलव (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 20–A की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के पुरूषोत्तमपुर एवं शदौदपुर ग्रामों में विशेष रेलवे परियोजना ''मुफतीगंज (एनईआर) जौनपुर–महगवां को जोड़ने वाली कोर्ड लाईन, जौनपुर (जौनपुर जं.) को बायपास करते हुए 1.5 कि.मी.'' के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन तथा संचालन के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण का अपना आशय घोषित करती है।

उक्त भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर, रेलव अधिनियम, 1989 की धारा 20–A की उप–धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त प्रयोजन हेतु भूमि के अधिग्रहण के संबंध में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, वाराणसी जिला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपत्ति के आधार तथा आपत्तिकर्ता की उक्त भूमि में रूचि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिक व्यवसायी (अधिवक्ता) के माध्यम से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा तथा सभी आपत्तियों को सुनने एवं आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त जांच करने के उपरांत, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगा।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20–A की उप–धारा (1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि से संबंधित भूमि योजनाएं तथा अन्य विवरण, रूचि रखने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में विशेष रेलवै परियोजना **''मुफतीगंज (एनईआर) जौनपुर–महगवां को जोड़ने वाली कोर्ड लाईन, जौनपुर (जानपुर जं.) को बायपास करते हुए 1. 5 कि.मी.''** के लिए जौनपुर जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण:

यह उन खसराओं के लिए अतिरिक्त क्षेत्र है जिनकी भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है।

क्र.सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	जौनपुर	जौनपुर	शाहदौदपुर उर्फ काकोरगहना		
1				987	0.0351
2				988	0.0321
3				989	0.0170
4				991	0.0467
5				992	0.0012
6				1001	0.0154
				कुल	**0.1475**

2	जौनपुर	जौनपुर	पुरूषोत्तमपुर उर्फ पांडेपुर	सर्वे/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1				79	0.0040
2				78	0.0020
				कुल	**0.0060**

[फा. सं. 190-W/Land/JNU and SHG]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण–द्वितीय

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 479(E).— The Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 20A (1) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), as amended by the Railways (Amendment) Act, 2008, hereby declares its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the public purpose, namely for the execution, maintenance, management, and operation of the special railway project, **"Chord Line Connecting MFJ (NER)-JNU-MGWN Bypassing JNU (Jaunpur Jn.) 1.5 Km"** in the village Purshottampur urf pandeypur & shdaudpur urf kakorgahna of district Jaunpur in the state of UP.

Any person interested in the said land may, within 30 days from the date of publication of this notification, object to the acquisition of the land for the purposes mentioned above, as provided under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989.

Every objection shall be made to the competent authority, namely the Special Land Acquisition Officer, varanasi. District varanasi, Uttar Pradesh, in writing, and shall state the grounds of objection and the interest of the objector in the land. The competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and May, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as it thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available in the office of the competent authority for inspection by the interested persons.

SCHEDULE

A brief description of the land in Jaunpur district of Uttar Pradesh state required for the special railway project, **"Chord Line Connecting MFJ (NER)-JNU-MGWN Bypassing JNU (Jaunpur Jn.) 1.5 Km"**including or excluding structures:

This is additional area for those khasras whose land acquisition has been done previously.

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey/Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Jaunpur	Jaunpur sadar	Shahdaudpur urf Kakorgahna		
1				987	0.0351
2				988	0.0321
3				989	0.017
4				991	0.0467
5				992	0.0012
6				1001	0.0154
				Total	**0.1475**

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey/Khasra No.	Area (in Hectares)
2	Jaunpur	Jaunpur sadar	Purshottampur urf Pandeypur		
1				79	0.0040
2				78	0.0020
				Total	0.0060

[F. No. 190-W/Land/JNU and SHG]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const.-II

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA